न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—413/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/413)

1. छगना पुत्र गोमा
2. आसू पुत्र गोमा
3. लाला पुत्र गोमा
4. भैरूपुत्र गोमा
5. रमेश पुत्र हीरा
6. गोरधन पुत्र हीरा

समस्त जाति गुर्जर, निवासी बांसेली तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. उगमा पुत्र पांचू जाति गुर्जर निवासी बांसेली तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट

2. मांगी पुत्री गोमा
3. गीता देवी पत्नि हीरा
4. मंजू देवी पुत्री हीरा
5. विक्रम पुत्र हीरा
6. मुकुल पुत्र हीरा

समस्त जाति गुर्जर निवासी बांसेली तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पुष्कर।
8. उप—पंजीयक, पुष्कर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2022 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 52/2021

उपस्थितः—

1. श्री जी0एस0लखावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री भारत भूषण गुर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री पुष्पेन्द्रसिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3, 4 व 6
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8
5. रेस्पोडेंट संख्या 2 व 5 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—05.05.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 52/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी ने एक वाद धारा 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया, तथा प्रतिवादीगण संख्या 1/1, 1/3, 1/5, 1/6/1, 1/6/6 के विरूद्ध विधिवत नोटिस तामिल हुए बिना एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया एवं बिना तनकीयात कायम किए निर्णय व डिक्री दिनांक 23.5.2022 पारित करने के उपरांत दिनांक 12.8.2022 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 52/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2 व 5 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील उपखण्ड अधिकारी पुष्कर द्वारा वाद संख्या 52/2021 में दिनांक 23.5.2023 में पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है तथा उपखण्ड अधिकारी पुष्कर के न्यायालय में वाद संख्या 52/2021 वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया था तथा इसके पूर्व भंवरी बेवा कालू का मुख्त्यारआम स्वयं को कथन करते हुए एक अपील जिला कलक्टर अजमेर के न्यायालय में नामान्तकरण संख्या 171 दिनांक 29.6.89 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी, जिसमें जिला कलक्टर अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 24.8.2016 के द्वारा प्रकरण को तहसीलदार पुष्कर के न्यायालय में सुनवाई हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय पारित किया गया था। जिला कलक्टर अजमेर द्वारा 24.8.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध संभागीय आयुक्त अजमेर के न्यायालय में लालाराम बनाम भंवरी के उनवान से द्वितीय अपील लम्बित है। जिसमें आगामी सुनवाई की दिनांक 25.2.2025 की नियत है। जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित प्रतिप्रेषण आदेश के विद्यमान रहते हुए भंवरी की मृत्यु हो जाने के कारण एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी उगमा द्वारा तहसीलदार पुष्कर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें शपथ पत्र मय सजरा वर्णित करते हुए सभी सहहिस्सेदारो के नाम नामान्तकरण किए जाने का अभिवचन किया गया था। इसके पश्चात तहसीलदार पुष्कर द्वारा सामान्य विरासत के बजाय वसीयत के आधार पर नामांतकरण का आदेश पारित किया तथा वर्तमान अपील में अपीलार्थी निम्नांकित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। 1. यह कि संभागीय आयुक्त अजमेर के न्यायालय में लंबित अपील एलआर संख्या 458/22 छगना बनाम उगमा की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा प्रकरण के लंबित होने बाबत फर्दअहकाम की प्रमाणित प्रतिलिपि। 2. तहसीलदार पुष्कर के न्यायालय में प्रकरण संख्या 2/2021 से संबंधित पत्रावली की समस्त प्रमाणित प्रतिलिपि। प्रस्तुत किए गए वर्तमान प्रकरण में समान पक्षकारों के मध्य लंबित विवाद से संबंधित है तथा वर्तमान अपील को गुणावगुण पर विधि सम्मत तरीके से निस्तारित करने हेतु सारवान व आवश्यक दस्तावेज है। तहसीलदार पुष्कर द्वारा की गई कार्यवाही बाबत तथ्य एवं आधार अंकित किए है इस कारण अपील का निस्तारण करने हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाकर तत्पश्चात अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना विधि सम्मत होगा। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाकर तत्पश्चात प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रकरण को नियत किया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर जवाब/बहस में कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात किसी भी रूप में न्यायिक दस्तावेज नहीं होने से प्रकरण को लंबित करने के उद्देश्य से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की जा रही है। प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण में निर्णय हेतु किसी प्रकार सारवान है, स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज किसी भी रूप से लोक दस्तावेज नहीं है जिनकी सत्यता स्वयं प्रार्थी द्वारा साबित की जानी है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से निरस्त फरमाए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि दस्तावेज़ विवादित भूमि से संबंधित है, न्याय निर्णय में सहायक होगी इस कारण न्यायहित में *अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाता है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अपने पुत्र श्योपाल को मुख्त्यारआम बताते हुए एक अपील नामांतकरण संख्या 171 दिनांक 29.6.1989 के विरूद्ध जिला कलक्टर अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की, तथा जिला कलक्टर अजमेर द्वारा दिनांक 24.8.2016 को कालू पुत्र किशना की विरासत बाबत जांच करने हेतु प्रकरण तहसीलदार पुष्कर को प्रतिप्रेषित किया था, तथा जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित उक्त आदेश को अपीलार्थी लालाराम द्वारा संभागीय आयुक्त अजमेर के न्यायालय में अपील के जरिये चुनोती दी, उक्त अपील संख्या 254/2016 संभागीय आयुक्त अजमेर के न्यायालय में लम्बित है। इसी दौरान विरासत के नामान्तकरण के बजाय भंवरी देवी बेवा कालू की मृत्यु होना कथन कर उगमा पुत्र पांचू ने एक अपंजिकृत वसीयत के द्वारा स्वयं के पक्ष में नामान्तकरण किये जाने की प्रार्थना की, तथा तहसीलदार पुष्कर ने विधि विधान से परे जाकर नामान्तकरण उगमा पुत्र पांचू के नाम किये जाने का आदेश पारित कर दिया, इसके आधार पर उगमा पुत्र पांचू को जिस प्रकार से खातेदार अंकित किया है वह आदेश ही अपने आप में अवैध है, इस प्रकार सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर के न्यायालय में प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया तथा समस्त तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट नही किये जा सके, इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय व डिकी वास्तविक तथ्यों के विपरीत होने से अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। प्रकरण दर्ज किए जाने के उपरांत प्रथम सुनवाई की दिनांक को ही एक तरफा कार्यवाही करने के आदेश न्यायालय द्वारा पारित कर दिये गये, जबकि नोटिस अपीलार्थीगण को विधिपूर्ण तरीके से तामिल नहीं हुए एवं अपीलार्थी लालाराम का नोटिस पुनः किस तारीख को जारी किया गया इस बाबत कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

नोटिस के प्रस्तुतिकरण की दिनांक अंकित है, न ही फर्दअहकाम पर दिनांक अंकित है, इसके बावजूद भी दिनांक 9.4.2022 को अपीलार्थी लालाराम के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया, इस प्रकार सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर द्वारा अपनाई गई प्रकिया पूर्णतया विधि विपरीत है तथा अपीलार्थीगण को अपनी प्रतिरक्षा का अवसर नहीं देने के उदेश्य से उक्त समस्त कार्यवाही पोषिता तौर पर की गई है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर ने जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त किए जाने योग्य है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करने के उपरांत अंतिम निर्णय व डिक्री हेतु प्रकरण को लंबित रखते हुए तहसीलदार पुष्कर द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किए गए उक्त विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार द्वारा कोई सूचना एवं जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं दी गई जबकि राजस्व मण्डल द्वारा आरबीजे 2017 पेज 299 के अनुसार पक्षकारों को सूचित करने के उपरांत पक्षकार की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने चाहिए जो नहीं किए गए। वाद प्रस्तुत किए जाने के उपरांत तहसीलदार पुष्कर जिनके द्वारा निर्णय नामान्तकरण बाबत दिनांक 12.11.2021 को पारित किया गया, उनके द्वारा एक पत्रनुमा जवाब उपखण्ड अधिकारी पुष्कर को प्रेषित कर दिया गया, तथा इसी आधार पर उसे राज्य सरकार की ओर से जवाब मानकर प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया गया, जबकि तहसीलदार पुष्कर द्वारा प्रस्तुत जवाब न तो सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसरण में है, न ही समुचित विधिक प्रक्रिया के तहत जवाब प्रस्तुत किया गया है, तथा तहसीलदार पुष्कर द्वारा प्रस्तुत जवाब से ही यह बिन्दू सन्देह से परे साबित हो जाता है कि सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर के न्यायालय में समस्त कार्यवाही विधि विधान से परे जाकर की गई, इस कारण सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 23.5.2022 अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किये गये डिक्री से प्रार्थी के सुने जाने के अधिकार का पूर्णतया हनन किया गया है इस कारण अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.5.2022 अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। विभाजन प्रस्ताव तैयार किए गए वह खसरा संख्या 1657 के बीचोबीच एक विशेष भू भाग पर बिना किसी आधार के 1657/2 की भूमि प्रत्यर्थी को दिए जाने बाबत प्रस्ताव बनाए जो किसी भी प्रकार से सुविधाजनक नहीं है इसके अलावा विभाजन के प्रकरण में समस्त पक्षकारों के हक हिस्से के अनुसार विभाजन किया जाना था। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 52/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2022 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में 2017 आर0बी0जे 299, आर0बी0जे0(16)2009 न्यायिक दृष्टांत पेश किए है।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 1/6 सहखातेदारी/सहकाश्तकारी की आराजीयात ग्राम गनाहेडा पटवार हल्का गनाहेडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुष्कर तहसील पुष्कर में अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात में वादी का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 गोमा पुत्र किशना का 2/3 हिस्सा निहित है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं, जो कि जमाबंदी संवत 2073–2076

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

से स्वयं सिद्ध है। वादग्रस्त आराजी का आज दिनांक तक मौके पर विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त आराजी पर शामलात रूप से कृषि किया जाना संभव नहीं है क्यों कि मौके पर वादग्रस्त आराजीयात की हकबंदी को लेकर आए दिना विवाद होता रहता है। अतः वादी द्वारा उक्त भूमि का उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाय मिट्स एण्ड बाउण्डस विधिक विभाजन किया जाकर तदानुसार मौके एवं राजस्व रिकार्ड में पालना करवाई जाने की घोषणात्मक आज्ञाप्ति हेतु यह वाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने एक वाद धारा 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 23.05.2022 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किए जाने के उपरांत अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.8.2022 पारित की गई। अपीलांट द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायायल हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि विरासत के नामान्तकरण में उगमा ने भंवरी देवी बेवा कालू की मृत्यु होने पर उगमा पुत्र पांचू ने एक अपंजिकृत वसीयत के द्वारा स्वयं के पक्ष में नामान्तकरण किये जाने की प्रार्थना की, तथा तहसीलदार पुष्कर ने विधि विधान से परे जाकर नामान्तकरण उगमा पुत्र पांचू के नाम किये जाने का आदेश पारित कर दिया, इसके आधार पर उगमा पुत्र पांचू को जिस प्रकार से खातेदार अंकित किया है वह आदेश ही अपने आप में अवैध है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से यह भी कथन किए कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिवत रूप से नोटिस तामील कराए एक तरफा में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया।

न्यायालय हाजा ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी के साथ संलग्न तहसीलदार पुष्कर द्वारा दिनांक 12.11.2021 पारित आदेश का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन कालू और उसकी धर्मपत्नी भंवरी के कोई जाईन्दा औलाद नहीं रही है ऐसी स्थिति में उनके जीवनकाल में उन्हें उत्तराधिकारी नियुक्त करने का विधिक अधिकार प्राप्त था। ग्राम गनाहेडा के खसरा नम्बर 1657 रकबा 0.34 है0 में खातेदार कालू की मृत्यु पश्चात भंवरी द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 21.9.2015 के अनुसार उगमा पुत्र पांचू को जरिए विरासत दिनांक 21.9.2015 को अपना विधिक वारिस मानकर राजस्व रिकार्ड में कायम किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष विचाराधीन है। नामांतरकरण की प्रक्रिया फिस्किल प्रोसिडिंग है। तहसीलदार पुष्कर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.2021 वैध है अथवा अवैध है इसका निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा उक्त आदेश न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील बंटवारे से संबंधित है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा अपील का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा दिनांक 2.12.2021 को वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था जिसे दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए जाने बाबत आदेश दिए गए। दिनांक 3.1.

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2022 को प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3, 1/5, 1/6/1 से 1/6/6 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए तथा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात प्रकरण नोटिस तलबी हेतु नियत रहा तथा दिनांक 29.4.2022 को प्रतिवादी संख्या 1/4 उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही की गई। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नोटिसों का अवलोकन किया तो पाया कि प्रतिवादी संख्या 1/1 मांगी 1/5 भैरू, 1/6/3, 1/3 आसू को जारी नोटिस की पुष्ट पर स्वयं द्वारा लिया जाना अंकित है तथा शेष प्रतिवादीगण को जारी नोटिस परिवार के सदस्यों द्वारा लिया जाना अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त प्रतिवादीगणों को नोटिस विधिवत रूप से तामील हुए हैं तथा वे बावजूद विधिवत तामीली के अनुपस्थित रहे है। जिस कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय से पूर्व अपीलांटगण की तामीली विधिवत रूप से हुई है। तहसीलदार द्वारा दिनांक 6.1.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया कि राजस्व रिकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 1657 रकबा 0.34 है0 प्रार्थी उगमा पुत्र पांचू एवं इसके भाईयों के नाम सहखातेदारी में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार प्रार्थी का खाता विभाजन किया जाना उचित है।

अधीनस्थ न्यायायल द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए मौजा ग्राम गनाहेडा की आराजीयात खाता संख्या 140 जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण के सह खातेदारी से दर्ज है का विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किए जाने बाबत आदेश दिए व मौजा गनाहेडा तहसील पुष्कर की विवादित आराजीयात के खाता संख्या 140 के खसरा नम्बर 1657 रकबा 0.34 है0 में उगमा पुत्र पांचू जाति गुर्जर सा0 बांसेली हिस्सा 1/3, गोमा पुत्र किशना जाति गुर्जर सा0 बांसेली हिस्सा 2/3 दर्ज है, का मौके एवं कब्जे तथा राजस्व रिकार्ड अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वादी व प्रतिवादी के अलग–अलग खाते कायम किए जाने प्राथमिक डिक्री जारी की है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार पुष्कर द्वारा समस्त पक्षकारों को नोटिस जारी कर पटवार हल्का गनाहेडा, आईएलआर पुष्कर, नायब तहसीलदार पुष्कर एवं तहसीलदार पुष्कर स्वयं दिनांक 5.7.2022 को मौके पर उपस्थित होकर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई। तहसीलदार पुष्कर की मौका रिपोर्ट दिनांक 5.7.2022 से स्पष्ट है प्रतिवादी संख्या 1/6/2 रमेश पुत्र हीरा मौका रिपोर्ट तैयार करते समय उपस्थित थे एवं हस्ताक्षर करने से मना किया। इसके अतिरिक्त अन्य मौतबिरान सुधीर कुमार पुत्र राजेश कुमार जाति मेघवंशी ग्राम बांसेली, पंकज पुत्र रामचंद्र जाति गुर्जर निवासी ग्राम देवनगर भी मौके पर उपस्थित थे तथा मौका रिपोर्ट एकपक्षीय रूप से तैयार नहीं की गई है। इस प्रकार तहसीलदार पुष्कर द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्णतया पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है तथा उसी अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों के बीच बंटवारा कर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमें किसी प्रकार की कोई प्रक्रियात्मक, विधिक अथवा न्यायिक त्रुटि नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट्स खारिज किए जाने योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.8.2022 को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

द्वारा प्रकरण संख्या 52/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

05/05/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner